Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 13, 2017 (JYAISTHA 22, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

संशोधन

दिनांक 13 जून, 2017

संख्या –सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0)/टी0ओ0डी0/2017/12909.— यातायात उन्मुख विकास (टी0ओ0डी0) से सम्बन्धित पॉलिसी अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/(टी0ओ0डी0)/2016/343, दिनांक 09 फरवरी, 2016 द्वारा अधिसूचित की गई थी। बाद में संशोधन अधिसूचना संख्या टी0 एण्ड0 सी0पी0/टी0ओ0डी0/2016/25294, दिनांक 16 नवम्बर 2016 तथा अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/(टी0ओ0डी0)/2017/964 दिनांक 11 अप्रैल 2017 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। दिनांक 9 फरवरी, 2016 की पॉलिसी दिनांक 01–06–2017 को मंत्री परिषद की बैठक में आगे पुनरीक्षित की गई है तथा निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए हैं जो निम्न अनुसार हैः–

1. खण्ड 8 "पार्किंग मानकों'' में, अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः–

"ई सी एस (समकक्षकार स्थल) का आकारः–

(i) 1 ईसीएस = खुली पार्किंग के लिए 23 वर्गमीटर

(ii) 1 ईसीएस = स्टिल्ट पार्किंग के लिए 28 वर्गमीटर

(iii) 1 ईसीएस = तहखाना पार्किंग के लिए 32 वर्गमीटर"

2. खण्ड 11 "फीस तथा प्रभार" में, पॉलिसी की टिप्पणी (ii) निम्न अनुसार प्रतिस्थापित की जाएगीः–

" (ii) टी0ओ0डी0 पॉलिसी के अधीन, अवसरंचना विकास प्रभार तथा अवसरंचना वृद्धि प्रभार संगृहित किए जाएंगे तथा 'अवसरंचना विकास' निधि में जमा किए जाएंगे। सैवीक्षा फीस, लाईसैंस फीस तथा परिवर्तन प्रभार राज्य के प्राप्ति शीर्ष में जमा किए जाएंगे। बाह्य विकास प्रभार हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 2 (छ) के उपबन्धों के अनुसार प्रयुक्त किए जाएंगे।"

3. खण्ड 11 "फीस तथा प्रभार" में, टिप्पणी (iii) के बाद, अन्त में, टिप्पणी (iv) निम्न अनुसार जोड़ी जाएगी:–

"(iv) अवसरंचना वृद्धि प्रभार पॉलिसी में अनुज्ञात अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0) के लिए अवसरंचना वृद्धि करने हेतु अपेक्षित है। एफ0ए0आर0 जिसके लिए आवेदक जो कि टी0ओ0डी0 पॉलिसी के बिना भी पात्र है, अवसरंचना वृद्धि प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त होंगे। यह विद्यमान परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं को लागू होंगे जो टी0ओ0डी0 पॉलिसी के अधीन बढ़े हुए एफ0ए0आर0 का लाभ उठाना चाहते है।"

4. संशोधित पॉलिसी तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

अरूण कुमार गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Amendment
The 13th June, 2017

No.CCP (NCR)/TOD/2017/12909.– The policy relating to 'Transit Oriented Development (TOD)' was notified vide Notification No. CCP (NCR)/TOD/2016/343 dated the 9th February, 2016. Subsequent amendments were notified vide Notification No. T&CP/TOD/2016/25294 dated the 16th November, 2016 and Notification No. CCP (NCR)/TOD/2017/964 dated the 11th April, 2017. The policy dated the 9th February, 2016 has been further reviewed by the Council of Ministers in its meeting held on 01.06.2017 and approved the following amendments which is as under:-

1. In Clause 8 "Parking Norms", the following shall be added in the end: -
"Size of ECS (Equivalent Car Space):-

(i)	1 ECS	=	23 sq. mts. for open parking.
(ii)	1 ECS	=	28 sq. mts. for stilt parking.
(iii)	1 ECS	=	32 sq. mts. for basement parking."

2. In Clause 11 "Fee and Charges", the Note (ii) of the policy shall be substituted as under:-
"**(ii)** Under TOD policy, Infrastructure Development Charges and Infrastructure Augmentation Charges will be collected and deposited in 'Infrastructure Development Fund'. The Scrutiny fee, licence fee and conversion charges will be deposited in the receipt head of the State. External Development Charges will be utilized as per provision of Section 2 (g) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975."

3. In Clause 11 "Fee and Charges" after Note (iii), the Note (iv) as follows shall be added in the end:-
(iv) The Infrastructure Augmentation Charges are required for augmenting the infrastructure for the additional Floor Area Ratio (FAR) allowed in the policy. The FAR for which the applicant is eligible even without TOD policy, will be exempted from payment of Infrastructure Augmentation Charges. This will be applicable to the existing projects as well as new projects, which intend to avail the benefit of increased FAR under the TOD policy."

4. The amended policy will become applicable with immediate effect.

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.